

वास्तु 1313/18 दिनांक 7-3-18

को पेश हो।

7.3/18

पत्रावली पैरा 1313/18 दिनांक 13.3.18  
को पेश हो।

1313/18 पत्रावली पैरा 1313/18 दिनांक 13.3.18  
को पेश हो।  
वकील पत्रकार उपस्थित  
है वकील पत्रकार को सुना गया वकील  
पत्रकार द्वारा वाद एवं जवाब मस काउंटर  
के बीच के वार्ड में किली जी प्रकार की  
साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कथन प्रिय  
हमने पत्रावली का आधोपान्त गहन  
अवलोकन किया! जादीगठा द्वारा प्रस्तुत  
वादपत्र, कथित लक्ष्य, वाचिदल अनुलेख,  
प्रतिवादीगठा द्वारा प्रतिवादपत्र मस  
काउंटर के बीच में अंकित लक्ष्य

पत्रावली

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम ज हुकम की त में जारी
---------------	-----------------------------------	---

एवं वांछित अनुलोषादि पर सम्यक विचार किया गया। प्रकण में आदेशिका दि० 17-01-2013 से भाज रिगांक तक का भली भाँति अवलोकन किया गया। प्रकण में अपने वादपत्र एवं अंवाव मय प्रतिवाद पत्र के समर्पण में किसी भी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वादीगण द्वारा समुचित समसोपान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, सिहाजा साक्ष्य बंद कर दी गई और प्रतिवादीगण साक्ष्य पैरा क्रम में अविच्छेदक रही अला प्रकण में उनकीवाह विवेचन अपेक्षित नहीं पाया जाता है।

प्रकण के गुणावशुत पर सम्यक विवेचनोपान्त हम वाद वादीगण एवं काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण / प्रतिवादीन के को साक्ष्योन्माव में खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अला दावा एवं काउंटर क्लेम दोनों को साक्ष्योन्माव में खारिज किया जाता है तबनुसार उन्ही मुक्तिव है।

१५/३/२०१८  
हुला गोपात्र जोशन  
उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आक दि० 13.3.18 को मेटे (11) दियाथा जाकर सट इजनास (नुनाय)

१५/३/२०१८  
हुला गोपात्र जोशन  
उपखण्ड अधिकारी